(ख) विधेयक के उपबन्ध, विशेषकर वे उपबन्ध जो बेरोजगार भत्ते की अदायगी के बारे मे है, ऐसे नीति सम्बन्धी मामले हैं जिन पर सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है।

(ग) और (घ) भारत सरकार के पास यह निष्कर्ष निकालने का कोई कारण नही है कि महाराष्ट्र के लोगो मे असन्तोष व्याप्त है। परन्तु राज्य सरकार ने विधेयक को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने की मांग की है, जिस पर भारत सरकार विचार कर रही है।

भड़काने वाले तथा सनसनीखेज समाचार प्रकाशित करने पर समाचार पत्रो पर नियन्त्रण

8206. **श्री मृत्युंजय प्रसाद :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भडकाने वाले तथा सनसनीखेज समाचार, जिनका कोई आधार नही है अथवा बहुत कमजोर आधार है और जिनसे व्यक्तियो के कुछ दलो मे वैमनस्य पैदा होता है, समाज मे असन्तोष फैलता है और लोगो की धार्मिक भावनाओ को ठेस पहुचती है अथवा जिनका उद्देश्य झूठी अफवाह फैलाना है, प्रकाशित करने वाले समाचारपत्रो, तथा उनके अधिकारियो, मालिको, सम्पादको पर नियन्त्रण रखने और यदि आवश्यकता पडे तो उन्हें दण्ड देने अथवा न्यायालयो से दण्डित कराने के लिए क्या व्यवस्था की गई है, और

(ख) प्रैस स्वतन्त्रता का दुरुपयोग किस प्रकार रोका जाता है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) इन अपराधों मे रत समाचारपत्रो से निपटने के लिए भारतीय दण्ड संहिता तथा आपराधिक दण्ड सहिता मे प्रावधान है। भारतीय दण्ड सहिता की धारा 124क, 153क, 153ख, और 295क, तथा आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 95 और 455 सनसनीखेज या भडकाने वाले समाचारो, जिनका आधार नही होता या बहुत कमजोर आधार होता है और जिनसे व्यक्तियो के दलो मे वैमनस्य पैदा होता है, को प्रकाशित करने वाले प्रकाशनो की समस्याओ से सम्बन्धित है। आपराधिक दण्ड सहिता की धारा 95 के अनुसार राज्य सरकारो को यह अधिकार है कि वे प्रकाशनो की प्रतिया जब्त कर सकें और जिन प्रतियो को जब्त करने की घोषणा हो गई हो, उनको अधिकार मे लेने के लिए तलाशी के वारण्ट जारी कर सके। आपराधिक दण्ड सहिता की धारा 108 के तहत सनसनीखेज समाचार, आदि का प्रसार करने वाले व्यक्तियो से अच्छे व्यवहार के लिए जमानत की मांग की जा सकती है। इस सम्बन्ध मे कार्यकारी अधिकार का प्रयोग राज्य सरकारो तथा सघ शासित क्षेत्रो के प्रशासनो द्वारा अपनी प्रवर्तन एजेंसियो के माध्यम से किया जाता है।

(ख) जबकि उपलब्ध दाण्डिक प्रावधानो का प्रयोग राज्य सरकारो द्वारा किया जाता है प्रस्तावित प्रेस परिषद् इस प्रकार की प्रवृत्तियो को रोकने के लिए प्रैस पर अपने नैतिक अधिकार का प्रयोग करेगी।

Quota of Coal and Power to Textile Mills

8207 SHRI PARMANAND GOVINDJIWALA. Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state

(a) is it a fact that the quota of the coal given to textile industries have been reduced by 40 per cent,